**दिनांक 17.03.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता (मनरेगा) एवं प्रखण्ड समन्वयक (PMAY-G) का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

## प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रखण्डों/पंचायतों के संबंधित कर्मी क्षेत्र में भ्रमण करेंगे एवं आवास निर्माण की प्रगति का पर्यवेक्षण करेंगे। क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने वाले कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। सभी प्रखण्ड समन्वयक को निदेश दिया गया कि आवास निर्माण में बिचौलियों को लाभुक का शोषण एवं अवैध कार्य करने से रोका जाय। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्य के विरूद्ध द्वितीय किस्त के भुगतान में प्रखण्ड देवरी, बगोदर एवं गावाँ में अधिक गैप पाया गया जिसे अविलम्ब शून्य करने का निदेश दिया गया। लाभुकों को आवास पूर्ण कराने हेतु बार-बार उत्प्रेरित की जाय। प्रखण्ड द्वारा किस्त की भुगतान हेतु FTO करने के बावजूद बैंकों के द्वारा लाभुकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके लिये सभी संबंधित बैंकों के जिला समन्वयक को लाभुकों को किस्त की राशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु पत्र दिया जाय। वित्तीय वर्ष 2017-18 के Account Verification की समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड बगोदर, बेंगाबाद, गाण्डेय, पीरटांड, देवरी, तिसरी के प्रखण्ड समन्वयक को अविलम्ब गैप को शून्य करने का निदेश दिया जाता है। जियो टैग करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान ससमय किया जाय। प्रखण्ड समन्वयक गाण्डेय की कार्यशैली पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उन्हें कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय किस्त भुगतान में प्रखण्ड गिरिडीह एवं गाण्डेय में बड़ा गैप है। सभी प्रखण्ड समन्वयक तृतीय किस्त का भुगतान लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत करें एवं सभी आवास का निर्माण 31 मार्च, 2018 तक शत प्रतिशत पूर्ण करें। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लक्ष्य के विरूद्ध ODF पंचायतों, पदाधिकारियों द्वारा गोद लिये गये पंचायतों, सांसद आदर्श ग्राम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम को प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाना है। इस हेतु सभी प्रखण्ड समन्वयक निर्धारित समय सीमा के अन्दर योग्य लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, जियो टैग एवं स्वीकृति करायें।

## इंदिरा आवास/भीमराव अम्बेडकर आवास योजना

तत्कालीन इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया वैसे अपूर्ण इंदिरा आवास जिसे पूर्ण कराया जाना संभव नहीं है, उसकी Deletion सूची दिनांक 19.03.18 तक Excel Sheet में जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। 31 मार्च, 2018 तक सभी अपूर्ण इंदिरा आवासों को पूर्ण कराते हुए MIS में Close कराया जाय। 31 मार्च, 2018 तक ही अपूर्ण इंदिरा आवासों को पूर्ण करने के लिये जिला कार्यालय से राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी। भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के संबंध में निदेश दिया गया कि 21 मार्च,2018 तक लाभुकों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराया जाय एवं प्रतिवेदित किया जाय।

## मनरेगा

मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में Good Governence के सभी मानदण्डों को पूरा करने हेतु सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सभी पंचायतों का भ्रमण एवं निरीक्षण करें। साथ ही पंचायत भवन में सात पंजियों का संधारण, दिवार लेखन, सूचना पट्ट, जॉब कार्ड अद्यतन, अभिलेख का संधारण, साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रत्येक माह पाँच-पाँच पंचायतों का भ्रमण एवं निरीक्षण करने का निदेश दिया जाता है। मनरेगा योजना स्थल पर जॉब कार्ड, मस्टर रॉल संधारित किया जाय एवं शेड, प्राथमिक उपचार कीट, पेयजल की व्यवस्था हो।

## बिरसा मुण्डा बागवानी योजना

बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के तहत् निदेश दिया गया कि इस योजना के संबंध में 19-21 मार्च तक प्रखण्ड स्तरीय बैठक कर लिया जाय तथा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभुकों एवं पंचायतों का चयन कर लिया जाय। पत्र के माध्यम से दिये गये कैलेण्डर के आधार पर योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे। पैच का चयन करते हुए विभाग को भेजना है। इसके लिये प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध करायें।

## सोशल ऑडिट

सोशल ऑडिट के समीक्षा के क्रम में सोशल ऑडिट का ATR तथा प्रखण्ड स्तरीय जनसुनवाई करवाने का निदेश दिया गया। जिन पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण हो गया है। उससे संबंधित ATR एवं ज्यूरी सदस्य की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कार्यक्रम की संभावित तिथि दिनांक 03.04.18-04.04.18 को ज्यूरी सदस्यों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर किया जायेगा एवं दिनांक 05.04.18, 07.04.18 एवं 09.04.18 को प्रखण्ड स्तरीय जनसुनवाई किया जायेगा।

## Labour Engagement

**Labour Engagement** की समीक्षा के क्रम में बजट के अनुरूप मानव दिवस सृजन करने का निदेश दिया गया। बजट से कम मानव दिवस सृजन होने पर अगले वित्तीय वर्ष में आवंटन में कटौती कर दी जायेगी। सरिया एवं बगोदर प्रखण्डों का मानव दिवस सृजन प्रतिशत क्रमशः 44% एवं 54% है। अतः उन्हें 100 मजदूर / ग्राम करने का निदेश दिया गया है। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे MIS से संबंधित सभी कार्य 31मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लें। अन्यथा योजनायें MIS में बंद हो जायेगी।

## आँगनबाड़ी भवन निर्माण

जिले में 715 आँगनबाड़ी केन्द्र भौतिक रूप से पूर्ण हैं जबकि मात्र 395 केन्द्रों को ही MIS में Close किया गया है। वैसे आँगनबाड़ी जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं उन्हें MIS में पूर्ण करते हुए Close किया जाय।

## Scheme Closing

वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उसे पहले की योजनाओं को MIS में बंद करने का निदेश दिया गया। प्रखण्ड- बगोदर, गाण्डेय, देवरी, सरिया में कई योजनायें लंबित है। पूर्ण हो सकने वाली योजनाओं को पूर्ण कराते हुए MIS में बंद किया जाय। Zero Payment वाली योजनाओं को Delete कराया जाय। 100% भुगतान किये जाने वाले योजना को अविलम्ब बन्द किया जाय।

## Delay Payment

Delay Payment की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15 दिनों से अधिक Delay Payment वाले प्रखण्ड- देवरी-43, बिरनी-25, डुमरी-21, गाण्डेय-16, गिरिडीह-15, बेंगाबाद-03 में मामले लम्बित हैं जिन्हें अविलम्ब शून्य करने का निदेश दिया गया। कम से कम 1st एवं 2nd Signatory स्तर पर लम्बित नहीं रखा जाय। पंचायत सचिव स्तर पर प्रखण्ड- गाण्डेय में 62, बेंगाबाद में 15, गिरिडीह में 51, धनवार में 12 मामलों लम्बित है। सहायक अभियंता स्तर से प्रखण्ड- गाण्डेय, बगोदर,

गिरिडीह, देवरी, जमुआ, धनवार, डुमरी, गाताँ, तिसरी, सरिया में M.B. लम्बित है। जिसे अतिशीघ्र MIS में शून्य करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

22/05/18
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।

24.5.18
निदेशक,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 688 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 23 मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/05/18
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।

24.5.18
निदेशक,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।

23/3/18
उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।